

प्रेस नोट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 13.09.2023

दहेज हत्या के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सिकरीगंज के नेतृत्व में उ०नि० संजय कुमार सिंह मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 254/2023 धारा 498ए,304बी भादवि व ¼ डी०पी० एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त फेंकू प्रजापति पुत्र स्व० विपत प्रजापति निवासी ग्राम बलुआ उर्फ बलसड थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर के माध्यम से सूचना दिया गया कि वादी की बहन को उसके ससुराल पक्ष वाले दो लाख रुपये दहेज के लिए कमरे में बन्द कर गला दबाकर मार दिये है जिसपर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 254/2023 धारा 498ए,304बी भादवि व ¼ डी०पी० एक्ट पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

फेंकू प्रजापति पुत्र स्व० विपत प्रजापति निवासी ग्राम बलुआ उर्फ बलसड थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 254/2023 धारा 498ए,304बी भादवि व ¼ डी०पी० एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० संजय कुमार सिंह थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. हे०का० रामफेरन थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर